

प्रेस नोट

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अंतरराज्यीय गैंग के 02 शातिर वाहन चोरों को चोरी की 02 कार,

गाड़ी के पार्ट्स व अवैध असलहा सहित किया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक नगर एव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 25/04 /2019 को समय 4.10 बजे निकट रोडवेज वर्क शाप के पास से चैकिंग के दौरान दो अभियुक्तों को मय एक अदद कार वैगन आर कार सम्बन्धित मु0अ0सं0 213/19 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर इंजन व खिडकी सम्बन्धित मु0अ0सं0 168/19 धारा 379/411 थाना सदर बाजार सहारनपुर व गिरफ्तार इस्तखार उर्फ पप्पू कबाड़ी की निशान देही पर दो बम्पर तथा सैन्ट्रो कार सम्बन्धित मु0अ0सं0 271/19 धारा 414 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर, एक अदद तमंचा व एक कारतूस 315 बोर व एक अदद चाकू सम्बन्धित मु0अ0सं0 व 272/19 व 273/19 धारा 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। यह एक अन्तरराज्यीय गैंग है जो वाहनो को चोरी कर सुनसान स्थानो पर काटकर मेरठ/दिल्ली व अन्य स्थानो पर बेच देते है।

नाम पता अभियुक्तगण व अपराधीक इतिहास:-

(1) **इस्तखार उर्फ पप्पू पुत्र नौसाद नि0 ग्राम सीकरी थाना भोपा जिला मु0नगर हाल नि0 चाँद कालोनी गली न0 7 हबीब गठ थाना कु0शेर सहारनपुरा**

1. मु0अ0सं0 175/10 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 213/19 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 168/19 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 272/19 धारा3/25भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर

(2) **सलीम पुत्र रहीश नि0 जडोदा जट्ट रसूलपुर थाना देवबन्द सहारनपुर**

1. मु0अ0सं0 441/18 धारा 398/401/411 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना सदर बाजार
2. मु0अ0सं0 443/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 213/19 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 168/19 धारा 379/411 थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 273/19 धारा 4/25 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर

बरामदगी का विवरण :- अभियुक्तों के कब्जे एक अदद कार वगैरार का सम्बन्धित मु0अ0सं0 213/19 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर इंजन व खिडकी सम्बन्धित मु0अ0सं0 168/19 धारा 379/411 थाना सदर बाजार सहारनपुर व दो बम्पर तथा सैन्ट्रो कार सम्बन्धित मु0अ0सं0 271/19 धारा 414 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर एक अदद तमंचा व एक कारतूस 315 बोर व एक अदद चाकू सम्बन्धित मु0अ0सं0 व 272/19 व 273/19 धारा 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर का बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्म0गणों के नाम :-

1. उ0नि0 श्री प्रदीप यादव
2. उ0नि0 श्री असगर अली
3. है0का0 7 शहनवाज
4. है0का0 512 राजवीर
5. का0 1719 अरविन्द

प्रेस नोट दिनांक 25-04-2019

थाना सरसावा पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमें में शामिल अभियुक्त नदीम पुत्र पीरु मरीम को एक आलाकत्ल (कुल्हाड़ी) सहित किया गया

गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि दिनांक 17-04-2019 को ग्राम फतेहपुर जट से श्री धर्म सिंह पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर जट थाना सदर बाजार, सहारनपुर के पुत्र नन्हे को नदीम पुत्र पीरु मरीम निवासी ग्राम काजीपुरा थाना सरसावा, सहारनपुर मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गया और कलरी गांव के जंगल में ले जाकर मार दिया, जिसके सम्बन्ध में पीड़ित की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 127/2019 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना सरसावा पुलिस को निर्देशित किया गया।

आज दिनांक 25-04-2019 को अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस द्वारा उक्त मुकदमें में नामजद अभियुक्त नदीम पुत्र पीरु मरीम निवासी ग्राम काजीपुरा थाना सरसावा, सहारनपुर को ग्राम काजीपुरा से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर इब्राहिमपुरा से आगे गंदे नाले से उक्त घटना में प्रयुक्त की गई एक कुल्हाड़ी को बरामद कर अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-नदीम पुत्र पीरु मरीम निवासी ग्राम काजीपुरा थाना सरसावा, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1-एक आलाकत्ल (कुल्हाड़ी)

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने उक्त घटना को स्वीकार करते हुये बताया कि मृतक के पिता श्री धर्म सिंह की नवादा रोड़ पर 10 बीघा जमीन है, जो काफी कीमत की है। मैं उस जमीन को बिचवा रहा था और मृतक के पिता श्री धर्म सिंह से उक्त जमीन को बेंचने के सम्बन्ध में बात भी हो गई थी। लेकिन श्री धर्म सिंह का पुत्र नन्हे इस बात से सहमत नहीं था और अपने पिता से जमीन को न बेचने के लिये बार-बार कह रहा था। इसी बात के चलते मैंने नन्हे को मोटर साइकिल पर बैठाकर कलरी गांव के जंगल में ले जाकर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और कुल्हाड़ी को इब्राहिमपुरा से आगे गंदे नाले में फेंक दिया था, जो मैंने बरामद करा दी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1-श्री सुदेश कुमार थानाध्यक्ष सरसावा, सहारनपुर।

2-उ0नि0 श्री राहुल देशवाल थाना सरसावा, सहारनपुर।

3-है0का0 संजीव कुमार थाना सरसावा, सहारनपुर।

4-आरक्षी सौरव धामा थाना सरसावा, सहारनपुर।

5-आरक्षी राहुल वत्स थाना सरसावा, सहारनपुर।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25-04-2019

जनपद पुलिस के परिवार परामर्श केन्द्र में अधिकारियों/काउन्सलरो ने 03 पक्षों में कराया समझौता:-

आज दिनांक 25-04-2019 को पुलिस लाइन में महिला परामर्श केन्द्र का आयोजन किया गया। परामर्श केन्द्र में विवादित परिवारों की काउंसिलिंग करने के लिये महिला परामर्श केन्द्र से प्रभारी निरीक्षक श्रीमती कल्पना त्यागी, महिला आरक्षी ज्योति, महिला आरक्षी पूजा, महिला आरक्षी मीनू की उपस्थिति में काउन्सलर श्रीमती सुरभि सिंह, श्रीमती अनुपमा महाजन, श्री शाहिद अहमद व सरोज गोयल, प्रितेन्द्र सिंह द्वारा काउंसिलिंग की गई।

परिवार परामर्श केन्द्र में कुल 23 पक्षों को नोटिस देकर काउंसिलिंग के लिये बुलाया गया। जिसमें लड़का व लड़की पक्ष के 05 लोग उपस्थित हुये। जिनकी काउंसिलिंग करने के बाद काउन्सलर द्वारा 03 पक्षों में समझौता कराया गया। जो परिवार काउन्सलर के द्वारा मिलाये गये उनके नाम निम्नवत् है:-

क्र० सं०	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
1	पंकज जाटव पुत्र श्री बाबूलाल निवासी राधा स्वामी कालोनी थाना को० नगर सहारनपुर।	शोपिया पुत्री ओमप्रकाश निवासी शारदा नगर थाना कु०शेर सहारनपुर।
2	जग सिंह उर्फ बंशी लाल पुत्र नन्दू सिंह निवासी थाना को०देहात सहारनपुर।	सोनू पुत्र नेपाल सिंह निवासी बेहलोलपुर घर माजरा थाना रामपुर मनहारान सहारनपुर।
3	समर जहां पुत्री कलीम निवासी कुरेशियान कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर।	सुल्तान पुत्र शमशाद निवासी मौ० कुरेशियान कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर।

